

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर।

कमांक— एच/एफएसए/आदेश/2011/ ६३३

दिनांक १५/१०/११

—आदेश—

भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ.एस.ओ.) का पांच दिवसीय प्रशिक्षण आर.एफ.पी.टी.सी. हीरा बाग, जयपुर में दिनांक 17.10.11 से दिनांक 21.10.11 तक कार्यालय समय में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के सफलता पूर्वक आयोजन हेतु उप निदेशक (पीएफए) मुख्यालय को नोडल अधिकारी (ट्रेनिंग) नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षण में निम्नलिखित खाद्य निरीक्षक अपने नियंत्रण अधिकारी से कार्यमुक्त होकर आवश्यक रूप से निर्धारित दिनांक को अपनी उपस्थिति आर.एफ.पी.टी.सी. हीरा बाग, जयपुर में नोडल अधिकारी (ट्रेनिंग) को प्रस्तुत करेंगे।

| क्रमांक | खाद्य निरीक्षक का नाम | पदस्थापन स्थान |
|---------|---------------------------|---|
| 1. | श्री श्याम सुन्दर | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर। |
| 2. | श्री आलोक टांक | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 3. | श्री अरुण सरसेना | सयुक्त निदेशक, जोन—कोटा |
| 4. | श्री हरिहर वर्मा | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 5. | श्री रमेश सैनी | सयुक्त निदेशक, जोन—अजमेर |
| 6. | श्री महेन्द्र सिंह | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 7. | श्री पवन कुमार वर्मा | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 8. | श्री विष्णु दत्त शर्मा | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 9. | श्री गणेन्द्र कुमार सिंघल | सयुक्त निदेशक, जोन—भरतपुर |
| 10. | श्री बंशीधर यादव | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 11. | श्री अशोक कुमार गुप्ता | सयुक्त निदेशक, जोन—उदयपुर |
| 12. | श्री श्रीराम मिश्रा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय |
| 13. | श्री रोहित शर्मा | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 14. | श्रीमती रेखा शर्मा | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 15. | श्री मदन लाल | सयुक्त निदेशक, जोन—जयपुर |
| 16. | श्री नागरमल | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रत्नगढ़ (चुरु) |
| 17. | श्री विनोद कुमार शर्मा | केन्द्रीय दल मुख्यालय |
| 18. | श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा |
| 19. | श्री गोविन्द सहाय गुर्जर. | सयुक्त निदेशक, जोन— कोटा |
| 20. | श्री अशोक कुमार पुरोहित | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू। |

इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(डॉ बी० आर० मीणा)

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं

निदेशक (जन.स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर

कमांक— एच/एफएसए/आदेश/2011/ ६३३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
- निजी सहायक, निदेशक (जन.स्वा०) मुख्यालय।
- नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक (पीएफए) मुख्यालय।
- प्रधानाचार्य, आरएफपीटीसी हीरा बाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण स्थल एवं आवास सुविधा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक रूप से बाग लेने हेतु कार्यमुक्त कर भिजवाएं।

(१) आदेश/निजी पत्रावली।

(२) उचारी दर्वाजा कम्ब मु०

(डॉ बी० आर० मीणा)

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं

निदेशक (जन.स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर